2278/2011

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2014 **Order** Dated Shimla-171002, the 18-10-14

Sub :- Diversion of 0.90 ha of forest land in favour of Food Corporation of India for the construction of Godown at Kangni, Tehsil & Distt. Mandi, within the jurisdiction of Forest Division & Distt. Mandi, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB858/2011-CHA/377**दिनांक **01.10.14** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.96 hectares** वन भूमि को District Food Officer Mandi, Food Corporation of India, Distt. Mandi, H.P., को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करती है।

1 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Chhipanu DPF** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये **2,76,230=00/–(दो लाख छयत्तर हजार दो सो तीस मात्र)** की राशि से कुल **1.92** हैक्टेयर निम्नकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

3 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

4 शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर कोई बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

5 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

6 प्रत्यावर्तित भूमि का प्रयोक्ता अभिकरण के खर्चे पर Rcc Pillars द्वारा सीमांकन किया जाएगा और इसका Forword तथा Backword bearing लिखा जाएगा।

7 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

8 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा एवं सम्बन्धित वनाधिकारी योजना अनुसार किया गया मक डिस्पोजल का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।

9 निर्माण कार्य के अन्तर्गत आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

10 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

11 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector- cum- Deputy Commissioner, District Mandi, H.P.

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Contd...,2.